जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 17.10.2017

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने धनतेरस, दीपावाली, गोवर्द्धन पूजा तथा भैयादूज इत्यादि धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों, शहर के मिष्ठान्न भण्डारों आदि स्थलों पर शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, संयुक्त मजिस्ट्रेट रूडकी तथा उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही जुआरियों तथा सटोरियों पर भी सतर्क दृष्टि बनाये रखने को कहा। आतिशबाजी तथा विद्युत दीपमालाओं के प्रयोग के दृष्टिगत आग लगने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन दलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड एवं अधिशासी अभियंता जल संस्थान को आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिये।

सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण साफ–सफाई रखने तथा खाद्य सामग्रियों विशेष रूप से मावे से बनने वाली मिठाईयों में मिलावट की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने विभिन्न समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखने तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध करने के भी निर्देश दिये। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन चैकिंग करने तथा गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि के आस–पास पटाखे, आतिशबाजी पर रोक लगाने के निर्देश दिये जिससे आग लगने की कोई घटना न हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने–अपने मण्डल में मीट–मांस की बिक्री की दुकानों को आवश्यकतानुसार बंद रखे जाने पर विचार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।